

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री भूपेन्द्र कुमार
निवासी बिया खेड़ा पोस्ट काबरा
तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा— अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 74 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
14.12.2020	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 23.10.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि 2014 में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा नक्की झील मार्ग स्थित फूड इन रेस्टोरेन्ट (इमाम बाड़ा) को ध्वस्त करने के आदेश एवं पुनः निर्माण की स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयवधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को दिनांक 23.10.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि 2014 में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा नक्की झील मार्ग स्थित फूड इन रेस्टोरेन्ट (इमाम बाड़ा) को ध्वस्त करने के आदेश एवं पुनः निर्माण की स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि से सम्बन्धित सूचना नगरपालिका आबूपर्वत से संबंधित होने से एवं पोस्टल ऑर्डर रूपये 10/- का आयुक्त नगरपालिका के नाम होने से सूचना हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र नगरपालिका आबूपर्वत को स्थानान्तरण करने के आदेश दिये जाते है। आयुक्त नगरपालिका आबूपर्वत आवेदन प्राप्त होने पर अपीलांत को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)

जिला कलक्टर, सिरौही

